

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा


केन्द्रीय भण्डार
रावतभाटा रोड, कोटा राजस्थान- 324021

कःस/एफ2/वमखुवि/केन्द्रीय भण्डार/13/ 355

दिनांक:- 18/6/2013

नीलामी सूचना संशोधन

कार्यालय आदेश क्रमांक 350 दिनांक 17.6.2013 के द्वारा प्रकाशित नकारा सामानो की नीलामी के क्रम में दिनांक 30.6.2013 को भी धरोहर राशि नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट नीलामी समय से पूर्व जमा कराकर खुली नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।




कुलसचिव
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

नीलामी सूचना क्रमांक एफ2/वमखुवि/केन्द्रीय भण्डार/13/350 दिनांक 17.6.2013 के क्रम में शर्त :-

1. बोली दाता दिनांक 29.6.2013 को सांय 5.00 बजे तक नीलामी से सम्बन्धित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के नाम बनवाकर कुलसचिव, केन्द्रीय भण्डार में आवश्यक रूप से जमा करवाये।
2. प्रत्येक सामान जो नीलामी सूचना में दर्शायी गई है, का अलग -2 डिमाण्ड ड्राफ्ट मय पत्र के प्रस्तुत करेगा तथा अपनी पहचान का प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड/पैन कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र मान्य होगा। जिसमें बोली दाता का नाम व हस्ताक्षर अंकित होगा।
3. बोली में वही व्यक्ति भाग ले सकेगा जिसका नाम बोली दाता ने अंकित किया है। अन्य व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा।
4. बोलीदाता को बोली की राशि 1000/-रु. के अन्तर से लगानी होगी।
5. बोली दाता को अधिकतम बोली पर नीलामी छोड़ी जावेगी। सफल बोली दाता नीलामी समाप्ति उपरान्त अधिकतम बोली की 60 प्रतिशत राशि तुरन्त नकद जमा करानी होगी। (जिसमें धरोहर राशि का समायोजन होगा) आगामी तीन दिवस में शेष जमा करवाकर माल/सामान स्वयं के खर्चे पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा धरोहर राशि व जमा 60 प्रतिशत राशि को विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जावेगा।
6. सफल बोली दाता को अधिकतम बोली की कुल राशि पर नियमानुसार सेलटैक्स एवं अन्य टैक्स की राशि वहन करनी होगी।
7. बोली दाता नीलामी सामानों को कभी भी कार्यालय समय में जहां है जैसी है स्थिति में अवलोकन कर सकता है।
8. वाहनो को सफल बोली दाता अपने स्वयं के खर्चे पर पंजीयन आदि ट्रान्सफर कराना होगा।
9. बोली दाता की किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं होगी।
10. किसी भी वाद विवाद की स्थिति में नीलामी समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
11. वाद विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र कोटा होगा।



कुलसचिव

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।